



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 440]  
No. 440]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 29, 1979/कार्तिक 7, 1901  
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 29, 1979/KARTIKA 7, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

वित्त मंत्रालय

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 1979

बान कर

क्र० आ० 611 (अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, दान कर अधिनियम, 1958 (1958 का 18) की धारा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दान कर नियम, 1958 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दान कर (संशोधन) नियम, 1979 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. दान कर नियम, 1958 में,—

(क) प्ररूप 'ब' में, टिप्पण (3) के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जायगा, अर्थात्:—

“(3) अपील का ज्ञापन अंग्रेजी में लिखा जाना चाहिये या, यदि अपील किसी ऐसे राज्य में स्थित न्यायपीठ के समक्ष फाइल की जाती है, जो आयकर (अपील अधिकरण) नियम, 1963 के नियम 5क के प्रयोजनों के लिये अपील

अधिकरण के सभापति द्वारा तत्समय अधिसूचित है तो, अपीलार्थी के विकल्प के अनुसार हिन्दी में लिखा जाना चाहिए और उसमें, अपील आधारों को संक्षेप में तथा सुभिन्न शीर्षों के अधीन, बिना किसी तर्क या विवरण के, उपवर्णित किया जाना चाहिए और ऐसे आधारों को क्रमवार संख्यांकित किया जाना चाहिए।”

(ख) प्ररूप 'ब' में, टिप्पण (2) के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जायगा, अर्थात्:—

“(2) प्रत्याक्षेप का ज्ञापन अंग्रेजी में लिखा जाना चाहिए या, यदि ज्ञापन किसी ऐसे राज्य में स्थित न्यायपीठ के समक्ष फाइल किया जाता है जो आयकर (अपील अधिकरण) नियम, 1963 के नियम 5क के प्रयोजनों के लिये अपील अधिकरण के सभापति द्वारा तत्समय अधिसूचित है तो, प्रत्यर्थी के विकल्प के अनुसार हिन्दी में लिखा जाना चाहिए और उसमें प्रत्याक्षेपों को संक्षेप में तथा सुभिन्न शीर्षों के अधीन, बिना तर्क या विवरण के, उपवर्णित किया जाना चाहिए और ऐसे प्रत्याक्षेपों को क्रमवार संख्यांकित किया जाना चाहिए।”

[सं० 3050/फा०सं० 143(4)/78-टीपीएल]

एस० एन० शंभे, सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

**MINISTRY OF FINANCE**  
(Central Board of Direct Taxes)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th October, 1979

**GIFT TAX**

S.O. 611(E).—In exercise of the powers conferred by section 46 of the Gift Tax Act, 1958 (18 of 1958), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Gift Tax Rules, 1958, namely:—

1. (1) These rules may be called the Gift Tax (Amendment) Rules, 1979.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Gift Tax Rules, 1958,—

(a) in Form H, for Note 3, the following Note shall be substituted, namely:—

“3. The memorandum of appeal should be written in English or, if the appeal is filed in a Bench located

in any such State as is for the time being notified by the President of the Appellate Tribunal for the purposes of rule 5A of the Income-tax (Appellate Tribunal) Rules, 1963, then, at the option of the appellant, in Hindi, and should set forth, concisely and under distinct heads, the grounds of appeal without any argument or narrative and such grounds should be numbered consecutively.”

(b) in Form N, for Note 2, the following Note shall be substituted, namely:—

“2. The memorandum of cross-objections should be written in English or, if the memorandum is filed in a Bench located in any such State as is for the time being notified by the President of the Appellate Tribunal for the purposes of rule 5A of the Income-tax (Appellate Tribunal) Rules, 1963, then, at the option of the respondent, in Hindi, and should set forth, concisely and under distinct heads, the cross-objections without any argument or narrative and such objections should be numbered consecutively.”

[No. 3050/F. No. 143 (4)/78-TPL]

S. N. SHENDE, Secy.  
Central Board of Direct Taxes